


रीख हुकम

हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 1286/2017 अनवान देराजराम बनाम चेतनराम

नम्बर व
तारीखअहकाम
जो इस हुकम की
तागील में जारी
हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 29.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पत्रावली पेश हो।


सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर


आदेश

29.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

प्रकरण पंजीयन कर प्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2017 से लगातार अप्रार्थीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। प्रार्थीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

